आरबीई सं. 24/2020
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 84

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/9 नई दिल्ली, दिनांक 21.02.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं वाणिज्य)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय : पास/पीटीओ डिजिटाइज़/इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी किए जाने के संबंध में रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) [आरएसपीआर-1986] में संशोधन ।

रेल सेवकों एवं गैर-रेल सेवकों (जहाँ भी लागू हो) को सभी प्रकार के पास/पीटीओ डिजिटाइज़/इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी किए जा सकें, इस उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आरएसपीआर-1986 के नियम 4 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार आरएसपीआर-1986 के नियम 4 को एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

4. पासों के प्रकार:-

(1) रेल सेवक या इन नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के पात्र सदस्य और आश्रित नातेदार को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किए जा सकेंगे, अर्थात्:-

(i) ड्यूटी पास;
(ii) सुविधा पास जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के दौरान जारी किए जाने वाले पास भी शामिल हैं;
(iii) स्कूल पास;
(iv) सेवोत्तर मानार्थ पास;
(v) विधवा पास;
(vi) आवासीय कार्ड पास, एवं;
(vii) विशेष पास।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट पास और पीटीओ निम्नलिखित रूपों में जारी किए जाएं:-

(i) धातु पास; या
(ii) कार्ड पास; या
(iii) चैक पास; या
(iv) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी संगत प्रशासनिक अनुदेशों में यथा-निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक फॉमेट में।

(3) गैर-रेल सेवकों को जारी किए जाने वाले पास (अर्थात् मानार्थ पास आदि) के मामले में, पास का स्वरूप (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक/अन्यथा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी संगत प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होगा।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/9 नई दिल्ली, दिनांक 21.02.2020

प्रतिलिपि प्रेषित :

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि :

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य, एवं सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफ़आरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, समूह "क" अधिकारी संघ, कमरा सं. 402, रेल भवन।
7. सचिव आरबीएसएस, समूह "ख" अधिकारी संघ।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलेवे बोड पदोन्नत अधिकारी संघ, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी IV कर्मचारी संघ।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ संघ, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेल सेवकसंघ, कमरा सं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महसचिव, अखिल भारतीय ओ.बी.सी. रेल सेवक फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा सं. 48, रेल भवन।

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

(i) ईडीपीएम/रेलवे बोर्ड।
(ii) ईडीपीसी-II एवं एचआरएमएस/रेलवे बोर्ड ।
(iii) निदेशक(सामान्य प्रशासन), रेलवे बोर्ड ।
(iv) कम्पयूटर सेल/सीएन्डआईएस, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिग के लिए ।
(v) मानक सूची के अनुसार ।